

14-2-25

पञ्जावली पेश हुई। प्राणी वकील उप० पञ्जावली वालो
नर बहस 25/2/25 को पेश हो।

25/2/25

पञ्जावली पेश हुई। प्राणी वकील उप० पञ्जावली
वालो नर बहस 18-3-25 को पेश हो।

18.3.25

पञ्जावली पेश हुई। प्राणी वकील उप० पञ्जावली
वालो बहस 15.4.25 को पेश हो।

15.4.25

पञ्जावली पेश हुई। प्राणी वकील उप० पञ्जावली
वालो बहस 02.05.2025 को पेश हो।

02.05.2025


पञ्जावली पेश हुई। प्राणी वकील उप० पञ्जावली
में प्राणी के विडान अधिवक्ता की बहस लुगी।
प्राणी अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया
कि मूलवाद प्राथमिक डिक्री हो चुका है तथा अंतिम
डिक्री होना तम है अतः आवेदित स्तरों में मूलवाद
के फैसल होने तक स्पार्ड निषेधाज्ञा जारी की जावे।
हमने पञ्जावली में खेलजन दस्तावेजों का ह्यान-
प्रैक्टिस अध्ययन, अवलोकन किया तथा वादी के
विडान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।
चूंकि मूल वाद प्राथमिक डिक्री लेकर-
विभाजन-प्रस्ताव के अन्तर्गत में लंबित है तथा वाद
में अंतिम डिक्री होना तम है अतः मौजा मालीबाल
परवार हल्का उड़ाखर तहसील खोपीमन के

कुहरा:



के खेत दरवरा संख्या 492/131,
 493/131 रकबा कुमरा: 2.6304 है,
 7.0495 है. में विप्रावीजिण, प्राचीजिण के
 कब्जे काबत में किसी प्रकार की फलअंदाजी
 नहीं करे। मौके की मर्यादिसिती बनामे रखने हेतु
 विप्रावीजिण को अल्ट्राई निषेधाज्ञा से पाबंध किया
 जाता है। लगान अडेरा बूल वाड के फैलल
 होने तक तार्कैलला कन्फर्म किया जाता है।

पजावली फैलल शुमार ठेकर दाविल दफतर हो


 सहायक कलक्टर
 SDO धोरीमना